

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून::दिनांक: 10 :मई,2011

विषय:-तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों की प्रत्याशा में द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत समनुदेशन के आधार पर समस्त ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2011-12 की प्रथम किश्त हेतु वित्तीय संक्रमण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों की प्रत्याशा में द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2011-12 की प्रथम किश्त हेतु कुल धनराशि ₹264441000.00 (रुछब्बीस करोड़ चौवालीस लाख इक्तालीस हजार मात्र) को संलग्नक में अंकित धनराशि के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2 (1)- संक्रमित धनराशि को वेतन एवं भत्ते आदि पर व्यय नहीं किया जा सकेगा। ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के बिल कोषागार से आहरण हेतु जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किए जाएंगे तथा बिल जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक ग्राम पंचायत को देय धनराशि/प्रतिशत अंश द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड के संस्तुतियों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(3)- ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी क्रासड बैंक ड्राफ्ट द्वारा विलम्बतम् 15 दिन में सम्बन्धित पंचायत को प्राप्त कराई जाएगी।

(4) संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0-1674ए/XXVII(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर,2006 द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश सिद्धान्त के अनुसार किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का व्ययावर्तन /समायोजन अनुमन्य नहीं होगा। यदि इसमें किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल वित्त

विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जायेगी तथा शासन के अनुमोदन के उपरान्त बदलाव अनुमन्य होगा।

(5)- उपयोग प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी के प्रति हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार उत्तराखण्ड, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव पंचायत राज को भेजा जाएगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

3- इस पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेत्तर-02-पंचायती राज संस्थाएं-198-ग्राम पंचायतें-03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जाएगा।

संलग्नक--यथोपरि।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

संख्या: 308 (1)/XXVII (1)/2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त कुंमाऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
- 6- निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 10- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
- 11- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(आर.सी.अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या:-308 /XXVII(1)/2011 दिनांक: 10 :मई,2011 का संलग्नक।

तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों की प्रत्याशा में द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2011-12 की देय अनुदान की प्रथम किश्त का संकमण।

(धनराशि हजार ₹में)

क्र०सं०	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायतों की संख्या	प्रथम किश्त
1	2	3	4	5
1-	अल्मोड़ा	भैसियाछाना	50	915
		भिकियासैण	98	1351
		चौखुटियाँ	99	1607
		धौलादेवी	109	3315
		द्वाराहाट	118	1991
		हवलबाग	125	1840
		लमगड़ा	97	2199
		सल्ट	138	2832
		स्याल्दे	93	2270
		ताकुला	89	1218
		ताडीखेत	130	3079
		योग:-	1146	22617
2-	बागेश्वर	बागेश्वर	181	3344
		गरुड़	101	1563
		कपकोट	115	3096
		योग:-	397	8003
3-	चमोली	दशोली	65	1900
		देवाल	44	1496
		गैरसैण	95	2950
		घाट	52	1381
		जोशीमठ	52	4133
		कर्णप्रयाग	94	2527
		नारायणबगड़	70	1395
		पोखरी	76	1681
		थराली	53	1355
		योग:-	601	18818
4-	चम्पावत	बाराकोट	47	843
		चम्पावत	99	3396
		लोहाघाट	65	1094
		पाटी	79	1474
		योग:-	290	6807

(घनराशि हजार रमें)

क्र०स०	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायतों की संख्या	प्रथम किस्त
1	2	3	4	5
5-	देहरादून	चकराता	97	2770
		डोईवाला	47	3716
		कालसी	97	2864
		रायपुर	55	3826
		सहसपुर	55	4763
		विकासनगर	52	3787
		योग:-	403	21726
6-	हरिद्वार	बहादुराबाद	64	10445
		भगवानपुर	53	5512
		खानपुर	21	1719
		लक्सर	48	3338
		नारसन	58	4693
		रूड़की	58	4051
		योग:-	302	29758
7-	नैनीताल	बेतालघाट	71	1676
		भीमताल	62	1368
		धारी	35	928
		हल्द्वानी	69	4166
		कोटाबाग	38	1342
		ओखलकांडा	76	2205
		रामगढ़	56	1452
		रामनगर	53	2138
		योग:-	460	15275
8-	पौड़ी	बीरोखाल	102	4145
		दुगडडा	99	8148
		द्वारीखाल	99	4995
		एकेश्वर	83	2513
		कल्जीखाल	87	3216
		खिर्सू	43	1719
		कोट	68	2361
		लैसडाउन(ज०ख०)	74	3261
		नैनीडाण्डा	89	4097
		पाबौ	74	3327
		पौड़ी	64	2066
		पोखडा	57	1677
		रिखणीखाल	81	3063


(घनराशि हजार ₹में)

क्र०सं०	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायतों की संख्या	प्रथम किश्त
1	2	3	4	5
		थलीसैण	102	5593
		यमकेश्वर	86	5068
		योग:-	1208	55249
9-	पिथौरागढ़	बेरीनाग	88	2623
		धारचूला	56	3812
		डीडीहाट	67	1075
		गंगोलीहाट	122	3142
		कनालीछीना	88	1480
		मुनाकोट	74	1563
		मुनस्यारी	93	4322
		पिथौरागढ़	81	1503
		योग:-	669	19520
10-	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	156	4010
		जखोली	102	1894
		ऊखीमठ	65	1960
		योग	323	7864
11-	टिहरी	भिलंगना	178	7048
		चम्बा	99	1901
		देवप्रयाग	111	2290
		जाखणीघार	90	1513
		जौनपुर	124	3091
		कीर्तिनगर	82	1411
		नरेन्द्र नगर	111	1693
		प्रतापनगर	98	1652
		थौलघार	86	1512
		योग	979	22111
12-	ऊधम सिंह नगर	बाजपुर	39	2337
		गदरपुर	43	1906
		जसपुर	43	2170
		काशीपुर	28	1645
		खटीमा	55	5731
		रूद्रपुर	45	2307
		सितारगंज	56	5996
		योग	309	22092
13-	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	77	2728

(धनराशि हजार रूमें)

क्र०सं०	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायतों की संख्या	प्रथम किस्त
1	2	3	4	5
		डुंडा	88	1898
		मोरी	62	2237
		नौगांव	113	5129
		पुरोला	40	959
		योग:-	454	14601
		महायोग:-	7541	264441

(रु०छब्बीस करोड़ चौवालीस लाख इक्तालीस हजार मात्र)


(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।